बाघ की मौत

केनाइन डिस्टेम्पर की आशंका के चलते डॉक्टरों की टीम कर रही थी इलाज, एनटीसीए प्रोटोकॉल के तहत हुआ भस्मीकरण

मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में जिंदगी की जंग हारा बीमार बाघ

कान्हा/ मंडला, नवभारत। एशिया के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे एक अस्वस्थ बाघ ने मंगलवार को अंतिम सांस ली। देश के नामचीन वन्यजीव डॉक्टरों और प्रतिष्ठित संस्थानों के अथक प्रयासों के बावजूद इस राष्ट्रीय पशु को असमय काल के गाल में समाने से नहीं रोका जा सका।

कान्हा प्रबंधन से मिली जानकारी अनुसार उक्त बाघ को इसी महीने की शुरुआत में विगत 04 जून को हाथी गश्ती दल द्वारा बीट किसली के कक्ष क्रमांक 777 सन्दूक खोल के पास बेहद जीर्ण-शीर्ण और अस्वस्थ अवस्था में देखा गया था। बाघ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पार्क के वरिष्ठ अधिकारियों के त्वरित निर्देशन में रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए बाघ को सुरक्षित ट्रेंकुलाइज किया था और गहन चिकित्सा व एकांतवास के लिए मुक्की क्वारंटाइन सेंटर स्थानांतरित किया था।

केनाइन डिस्टेम्पर जैसे घातक रोग के मिले थे लक्षण

प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच के दौरान बाघ में वन्यजीवों के लिए बेहद जानलेवा माने जाने वाले केनाइन डिस्टेम्पर रोग से संबंधित गंभीर लक्षण पाए गए थे। इसके तुरंत बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के विशेषज्ञ वन्यजीव चिकित्सकों और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के डॉक्टरों का एक संयुक्त दल गठित किया गया था, जो चौबीसों घंटे बाघ की सेहत पर सतत निगरानी और सघन उपचार कर रहा था। बाघ की जान बचाने के लिए भारत के कई अन्य शीर्ष वन्यजीव विशेषज्ञों से भी आपातकालीन तकनीकी सलाह ली गई थी, लेकिन बीमारी के गंभीर स्तर पर होने के कारण अंततः बाघ ने दम तोड़ दिया।

सभी अंग पाए गए सुरक्षित

बाघ की मृत्यु के बाद राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के कड़े दिशा-निर्देशों व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) भोपाल के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आगे की वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई। डॉ. संदीप अग्रवाल वरिष्ठ वन्यजीव स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. आशीष वैद्य पशु चिकित्सक, बैहर एवं डॉ. अनुष्का उपाध्याय पशु चिकित्सक, एसडब्ल्यूएफएच जबलपुर के तीन सदस्यीय विशेषज्ञ दल द्वारा मृत बाघ का पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिक शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बाघ के शरीर के समस्त महत्वपूर्ण अंग पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार के अवैध शिकार की आशंका खारिज होती है। हालांकि मृत्यु के सटीक और अंतिम कारणों का वैज्ञानिक रूप से पता लगाने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए विसरा सुरक्षित कर लैबोरेट्री भेजे गए हैं। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुखाग्नि देकर पंचतत्व में विलीन किया गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान रवींद्र मणि त्रिपाठी क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, जमुना प्रसाद भगत तहसीलदार, बैहर, अजिनक्या देशमुख फील्ड बायोलॉजिस्ट, चंद्रेश खरे मानसेवी वन्य जीव अभिरक्षक, परशुराम चौहान एनटीसीए प्रतिनिधि, शकुंतला मरकाम सरपंच, बम्हनी तथा संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी मुक्की सहित कान्हा टाइगर रिजर्व का अन्य मैदानी स्टाफ मुख्य रूप से मौजूद रहा।

भरभराकर गिरी अवैध होर्डिंग, युवक के सिर में आए 16 टांके

मंडला के उदय चौक में हादसा, आक्रोशित जनता ने उठाए अवैध होर्डिंग्स की निगरानी पर सवाल

मंडला। शहर के सबसे व्यस्ततम और वीआईपी क्षेत्रों में शुमार उदय चौक पर मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ बिना किसी वैध अनुमति के लगाई गई एक विशालकाय फ्लेक्स होर्डिंग अचानक तेज आवाज के साथ भरभराकर जमींदोज हो गई। इस भारी-भरकम होर्डिंग की सीधे चपेट में आने से वहां से गुजर रहा एक स्थानीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानकारी अनुसार घायल युवक की पहचान जगदीश केवट के रूप में हुई है। चश्मदीदों ने बताया कि यह हादसा दोपहर लगभग दो बजे हुआ, जब जगदीश वहां से गुजर रहा था। अचानक करीब 3 क्विंटल वजनी लोहे के एंगल वाली विशाल होर्डिंग सीधे उसके सिर पर आ गिरी। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में युवक को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने बताया युवक के सिर में बेहद गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसके सिर पर करीब 12 से 16 टांके लगाने पड़े हैं। फिलहाल घायल जगदीश का जिला अस्पताल उपचार किया जा रहा है।

स्थानीय नागरिकों और प्रत्यक्षदर्शियों ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ, वहां वर्तमान में लगभग 7 करोड़ की भारी-भरकम लागत से नगर पालिका का पार्किंग निर्माण कार्य चल रहा है। इसी निर्माण स्थल के ठीक समीप स्थित एक कमजोर दीवार के ऊपर यह भारी होर्डिंग बिना किसी पर्याप्त तकनीकी सुरक्षा, कांक्रीट बेस या मजबूत सपोर्ट के खड़ी कर दी गई थी। जो अंततः मंगलवार को एक राहगीर के लिए काल बन गई।

शाम तक नहीं पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी, जनता में आक्रोश-बताया गया कि इस घटना के कई घंटों बाद भी कोई जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। हद तो यह रही कि राहगीरों की जान जोखिम में डालने वाली वह गिरी हुई होर्डिंग भी लंबे समय तक सड़क किनारे वैसे ही लावारिस पड़ी रही।

इस हादसे ने मंडला शहर में लंबे समय से बिना वैधानिक अनुमति के कुकुरमुत्ते की तरह तने बड़े-बड़े विज्ञापनों और अवैध होर्डिंगों के मकड़जाल पर गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन से पुरजोर मांग की है कि शहर में लगे सभी बड़े होर्डिंग्स की मजबूती और उनकी वैधानिकता की तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

वीरांगना रानी दुर्गावती का रज कलश पहुंचा मंडला

आज माहिष्मती घाट पर कालिंजर किले से आए पवित्र कलश से पूरे जिले में गूंजेगा नारी शक्ति और स्वाभिमान का शंखनाद

मंडला। भारतीय इतिहास की महान शौर्य प्रतीक और गोंडवाना साम्राज्य की शासक वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस के पावन अवसर पर मंडला जिले के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण आया है। रानी दुर्गावती के जन्म स्थल, ऐतिहासिक कालिंजर किला बांदा जिला, उत्तर प्रदेश की पवित्र मिट्टी को समाहित किए हुए रज कलश मंडला जिले की पावन धरा पर पहुंच चुका है। इस अत्यंत पावन और ऐतिहासिक रज कलश का भव्य पूजन कार्यक्रम 24 जून को सुबह 10 बजे नर्मदा नदी के सुप्रसिद्ध माहिष्मती घाट के तट पर होना सुनिश्चित हुआ है। समाजसेवी सुधीर कांसकार ने बताया कि इस रज कलश को जिले में लाने का मुख्य उद्देश्य रानी दुर्गावती के अदम्य साहस, त्याग और देशप्रेम की भावना को जन-जन तक पहुंचाना है। यह पवित्र कलश संपूर्ण जिले के विभिन्न ग्रामों और अंचलों में भ्रमण करेगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नारी शक्ति और उनके स्वाभिमान का जागरण करना है। रानी दुर्गावती का जीवन हर युग में महिलाओं के स्वावलंबन और शौर्य का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है, और यह यात्रा उसी चेतना को दोबारा जाग्रत करेगी। 24 जून को आयोजित होने वाले इस मुख्य पूजन कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में भारी उत्साह का माहौल है। आयोजन समिति ने मंडला जिले और आसपास के सभी नागरिकों, मातृशक्ति, युवाओं और प्रबुद्ध जनों से भावपूर्ण अपील की है कि वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक रज कलश पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

बिना रोलर और वाइब्रेटर के बना डाली भ्रष्टाचार की सड़क

सरपंच, सचिव ने इंजीनियर पर लगाया मिलीभगत का आरोप, ग्रामीणों ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग

बीजाडांडी, नवभारत। विकासखंड बीजाडांडी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कटंगी के बस्ती मार्ग में इन दिनों सरकारी राशि के बंदरबांट और गुणवत्ताविहीन सड़क निर्माण कार्य का एक बड़ा मामला गरमाता जा रहा है।

यहाँ बनाई जा रही सीमेंट कांक्रीट सड़क में तकनीकी मापदंडों को पूरी तरह ताक पर रखकर व्यापक पैमाने पर वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और संबंधित उपयंत्री की आपसी मिलीभगत के चलते इस सड़क निर्माण को महज औपचारिकता में बदला जा रहा है।

बिना एस्टीमेट के बना रहे मसाला

जानकारी अनुसार सरकारी नियमों और एस्टीमेट के तहत सीसी रोड निर्माण के लिए कांक्रीट मिक्स का एक निश्चित और मजबूत अनुपात तय होता है। लेकिन कटंगी बस्ती मार्ग में अधिक मुनाफा कमाने और सरकारी बजट की हेराफेरी करने के चक्कर में मनमाने तरीके से 16-12.का बेहद कमजोर मसाला तैयार किया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान मौके पर 28 तगाड़ी गिट्टी, 26 तगाड़ी रेत के साथ मात्र एक बोरी सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क की तकनीकी बारीकियों को लेकर आक्रोशित ग्रामीणजनों ने बताया कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जमीन पर होने वाले अर्थ वर्क को भी ठीक ढंग से नहीं किया गया। मिट्टी और मुर्रम बिछाने के बाद उसे मजबूत करने के लिए नियमित रोलर चलाया जाना अनिवार्य था, जिसे पंचायत ने पूरी तरह छोड़ दिया। इतना ही नहीं कांक्रीट बिछाने के बाद उसमें से हवा के बुलबुले निकालने और उसे ठोस बनाने के लिए वाइब्रेटर मशीन का उपयोग भी नहीं किया गया। इस घोर लापरवाही और घटिया निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत कटंगी के नागरिकों में गहरा असंतोष और भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और जनपद पंचायत के वरिष्ठ अधिकारियों से पुरजोर मांग की है कि इस गुणवत्ताविहीन सीसी रोड के निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही मौके पर तकनीकी दल भेजकर मसाले की जांच कराई जाए और दोषी सरपंच, सचिव व इंजीनियर के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

सीएम हेल्पलाइन में जिला प्रदेश में प्रथम

विद्युत शिकायतों के निराकरण में बनाया नया कीर्तिमान

मंडला। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के जिले ने एक बार फिर सुशासन की मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के मई 2026 माह के प्रदर्शन में मंडला ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। हाल ही में जारी जिला-वार रैंकिंग में मंडला जिले ने शत-प्रतिशत 100 अंक अर्जित कर प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। यह ऐतिहासिक सफलता मंडला वृत्त के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मोहम्मद अयूब खान के कुशल नेतृत्व, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कड़ी मेहनत व गुणवत्तापूर्ण निराकरण के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध समाधान, नियमित मॉनिटरिंग और उपभोक्ता संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण जिला अक्टूबर 24 से मई 26 तक लगातार 20 महीनों से उत्कृष्ट प्रदर्शन सूची में बना हुआ है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता मोहम्मद अयूब खान ने इस गौरवमयी उपलब्धि का श्रेय कंपनी के प्रबंध निदेशक अजय गुप्ता द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण को दी जा रही प्राथमिकता, मुख्य अभियंता जबलपुर क्षेत्र एसके गिरिया के मार्गदर्शन तथा मंडला जिले के समस्त मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के टीमवर्क को दिया

दो अनाथ बेटियों की जमीन पर सगे चाचा ने किया अवैध कब्जा

विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, सदमे में परिवार, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार

नैनपुर/मंडला। कलयुगी रिश्तों और अनाथ बेटियों के हक पर अपनों द्वारा ही डाका डालने का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। तहसील नैनपुर के ग्राम चीचगांव की रहने वाली दो सगी बहनों ने अपने सगे चाचा पर पैतृक कृषि भूमि पर अवैध कब्जा करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। न्याय की आस में भटक रही इन बेटियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अपनी ही जमीन पर वापस कब्जा दिलाने और सुरक्षा प्रदान करने की अपील की है।

पिता का सिर से उठा साया, नाना ने पाला-जानकारी अनुसार आवेदिका नेहा साहू, 21 वर्ष, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा और उसकी छोटी बहन रिसिका साहू 18 वर्ष, 12वीं उत्तीर्ण छात्रा के पिता स्वर्गीय रामकुमार साहू का निधन विगत 18 फरवरी 2008 को गया था, जब दोनों बहनें अत्यंत छोटी थीं। दोनों अनाथ बेटियों को उनके नाना रतन और हरिप्रसाद साहू ने अपने घर ग्राम चीचगांव लाकर पाला-पोषा वर्तमान में बड़ी बहन कॉलेज में है और छोटी बहन को आगे कॉलेज में दाखिला लेना है, जिसके चलते नाना पर अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

न्यायालय के आदेश के बाद भी चाचा का अवैध कब्जा-शिकायत में बताया गया कि ग्राम जेवनारा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 36/2/1 और 89/2/1 कुल रकबा 0.70 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में इन दोनों बहनों के नाम पर दर्ज है। पिता की मृत्यु के बाद न्यायालय तहसीलदार नैनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 मार्च 17 के तहत यह हिस्सा इन बहनों को प्राप्त हुआ था। आरोप है कि उनके सगे चाचा इंद्रकुमार साहू ने इस पूरी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर खेती कर रहे हैं। इस भूमि से होने वाली आय में से अनाथ बहनों को फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही है। आवेदिकाओं ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाते कहा है कि जब वे अपनी खुद की भूमि पर स्वयं कृषि कार्य करने या हक मांगने जाती हैं, तो उनके चाचा इंद्रकुमार द्वारा उनके साथ मारपीट की जाती है और उन्हें जान से खत्म करने की धमकियां दी जाती हैं।

पंचों का फैसला भी ठुकराया-मामले को सुलझाने पिछले वर्ष 8 जून 25 को ग्राम जेवनारा में चार पंचों की एक बैठक बुलाई गई थी। पंचों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि चाचा इंद्रकुमार इन दोनों बहनों को जमीन की आय के एवज में 12 हजार 500 रूपए की राशि का भुगतान करेंगे। लेकिन दबंगई के चलते चाचा ने पंचों के फैसले को भी ठेंगा दिखा दिया।

नशामुक्त अभियान के तहत प्रशिक्षण 25 को

मंडला। नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिले में नशामुक्ति जनजागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 25 जून को प्रातः 10:30 बजे जिला पंचायत परिसर में किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, भोपाल द्वारा प्रदेश के मास्टर वॉलंटियर्स के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले के मास्टर वॉलंटियर्स के साथ-साथ पुलिस, नारकोटिक्स विभाग, सीएमएचओ, सीईओ जनपद पंचायत, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।

वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा तोड़े जाने पर बवाल

वर्तमान व पूर्व जनपद अध्यक्ष ने दर्ज कराई एफआईआर

मंडला। जिले के विकासखंड घुघरी की जनपद पंचायत घुघरी परिसर के समीप स्थापित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा को तोड़े व हटाए जाने का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। इस घटना के बाद से स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आदिवासी समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वर्तमान जनपद अध्यक्ष जनिया बाई मरावी और पूर्व जनपद अध्यक्ष व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य कौशल्या मरावी ने संयुक्त रूप से थाना घुघरी पहुंचकर अलग-अलग लिखित शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

जनपद अध्यक्ष जनिया बाई मरावी ने इस कृत्य पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जनपद पंचायत की बिना किसी पूर्व अनुमति, प्रस्ताव या अनापत्ति प्रमाण पत्र के इस प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर हटाया गया है। कार्यालय को इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले इस कृत्य की निष्पक्ष जांच कर उत्तरदायी व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए।

शिकायत सौंपने पहुंचे क्षेत्र के दिग्गज नेता

थाने में लिखित शिकायत सौंपने के दौरान क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज मरकाम, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रामप्रकाश साहू, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र धुर्वे, महामंत्री संजय साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद साहू और पूर्व मीडिया प्रभारी नंदकिशोर पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस घटना के बाद से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और जनभावनाओं के मद्देनजर पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

कमेटी की मंजूरी से स्थापित हुई थी मूर्ति

पूर्व जनपद अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य कौशल्या मरावी ने बताया कि उनके कार्यकाल के दौरान जनपद कमेटी के वैधानिक निर्णय और सर्वसम्मति के बाद ही परशुरामी गंगा कॉम्प्लेक्स परिसर के समीप वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का ससम्मान अनावरण किया गया था। गौरव के प्रतीक को इस तरह गरिमाविहीन ढंग से तोड़ा जाना बेहद निंदनीय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक सरोकार में आगे आई पुलिस

नवागत थाना प्रभारी प्रकाश ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

मंडला। पुलिस विभाग जहां एक ओर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा की कमान पूरी मुस्तैदी से संभालता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों और मानवीय संवेदनाओं में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसी सेवाभावी कड़ी में आज थाना घुघरी के नवागत थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र सेन के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जिला अस्पताल के सहयोग से रक्तदान कर समाज के सामने एक अनुकरणीय और प्रेरणादायी उदाहरण पेश किया है। बताया गया कि नवागत थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र सेन ने स्वयं आगे बढ़कर रक्तदान कर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की।

पुलिस स्टाफ ने भी निभाई सक्रिय भागीदारी-इस मानवीय और पुनीत कार्य में केवल थाना प्रभारी ही नहीं, बल्कि उनके पूरे स्टाफ ने कंधे से कंधा मिलाकर सहभागिता निभाई। कैंप के दौरान उप निरीक्षक रामकिशोर माथरे और सहायक उप निरीक्षक चंदर सिंह पट्टा सहित घूघरी थाने के अन्य पुलिस बल के जवानों ने भी अत्यंत सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और बारी-बारी से अपना रक्तदान किया।

अवैध चिकित्सकीय प्रैक्टिस की शिकायत पर टीम ने दबोचा

मेडिकल स्टोर पर प्रशासन का छापा

मंडला। कलेक्टर के निर्देशन में स्वास्थ्य और प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घुघरी क्षेत्र में संचालित एक मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी.जे. मोहंती द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मेडिकल स्टोर पर अवैध रूप से मरीजों का इलाज किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम और ड्रग इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से प्रतिष्ठान पर अचानक दबिश दी। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर मौजूद आवश्यक दस्तावेजों, अभिलेखों और तथ्यों का बारीकी से परीक्षण करते हुए अवैध प्रैक्टिस से जुड़े साक्ष्य संकलित किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मौके से मिले पुख्ता सबूतों के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस छापामार कार्रवाई दल में अनुविभागीय अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एवं अमोद श्रीवास मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

आरोप

265 महिला समूहों ने खोला मोर्चा, प्रताड़ना से तंग आकर महिलाओं ने कलेक्टर से की हटाने की मांग

मवई आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक पर लगाए गंभीर आरोप

मवई/मंडला। आदिवासी बाहुल्य विकासखंड मवई के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में एक बड़ा विवाद सामने आया है। मोतीनाला सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत लगभग 265 महिला स्व-सहायता समूहों ने ब्लॉक प्रबंधक राकेश जघेला की कार्यप्रणाली के खिलाफ सीधे जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। जिससे वनांचल में महिलाओं के स्वरोजगार और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है।

कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में बताया गया कि मोतीनाला सेक्टर के इन 265 समूहों के माध्यम से मध्यान भोजन, साझा चूल्हा, गल्ला व्यापार और किराना दुकान जैसे महत्वपूर्ण जनहितैषी कार्य संचालित किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान ब्लॉक प्रबंधक ने कथित रूप से नियमों को ताक पर रखकर नया फरमान जारी कर दिया है। महिलाओं का कहना है कि मोतीनाला से मवई ब्लॉक मुख्यालय की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जहाँ जाने के लिए पूरे दिन में मात्र 2 बसें ही चलती हैं। ऐसे में सुदूर गांवों की गरीब महिलाओं को पैसे निकालने के लिए बार-बार मवई के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

बिना सहमति के अध्यक्ष-सचिव बदले, 3 साल से मानदेय रोका- महिलाओं का आरोप है कि प्रबंधक ने बिना किसी समूह की सहमति या बैठक के अपने मनमुताबिक संकुल स्तरीय अध्यक्ष और सचिव बदल दिए हैं। यहाँ तक कि समूहों की सील (मोहर) भी बिना सहमति के नई बनवा दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन समूहों में कार्य करने वाली दीदियों को पिछले लगभग तीन वर्षों से उनके हक का मानदेय भी नहीं दिया गया है।

अधिकारियों की धौंस देकर चुप कराने का आरोप-पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब भी कोई महिला इस तानाशाही का विरोध करती है, तो ब्लॉक प्रबंधक द्वारा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। विरोध करने पर उन्हें एसडीएम और कलेक्टर के आदेशों की धौंस देकर चुप करा दिया जाता है।